कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा),उत्तराखण्ड,देहरादून

वैभव पैलेस, सी-1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून-248006

सं0 : स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-47/2016-17/

दिनांक : / 01/2017

सेवा में,

मुख्य नगर अधिकारी,

नगर निगम - काशीपुर,

जनपद- उधमसिंहनगर

विषय : नगर निगम - काशीपुर, का वर्ष 2015-16 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के भाग -4 (ब)-1 में 02 प्रस्तर तथा भाग-4 (ब)-2 में 02 प्रस्तर हैं। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग-4 (ब)-1 के सभी प्रस्तरों के प्रतिपालन आख्या सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन एवं भाग-4 (ब)-2 के सभी प्रस्तरों के प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति

2. प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

सं0: स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-47/2016-17/ दिनांक : /01/2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- सचिव, शहरी विकास उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

2- निदेशक, शहरी विकास निदेशालय उत्तराखण्ड, 31/62 राजपुर रोड़ निकट साई इंस्टीट्यूट, देहरादून।

3- निदेशालय, लेखापरीक्षा (आडिट), द्वितीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पिन कोडः 248005

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून

भाग-एक

वर्ष 2015-16 के लिये नगर निगम - काशीपुर, पर निरीक्षण प्रतिवेदन

(अ) संप्रेक्षावधि मे कार्यरत शहरी निकाय अध्यक्ष तथा कार्यकारी अधिकारी का नाम तथा पदनाम

श्रीमति ऊषा चौधरी	-	अध्यक्ष नगर निगम
कु. युक्ता मिश्र	-	मुख्य नगर अधिकारी

(ब) संप्रेक्षा सदस्यों के नाम तथा पदनाम

(i) श्री एस के त्यागी, व.ले.प.अ.
(ii) श्री एल.एस.लिंगवाल, स.ले.प.अ.
(iii) श्री अर्जुन सिंह, स.ले.प.अ.
(iv) श्री के.बी.गुरुंग,पर्यवेक्षक

(स) संप्रेक्षा तिथि 05.09.2016 से 24.09.2016 तक

(द) संप्रेक्षा में आच्छादित अवधि:- 04/2015 से 03/2016

भाग-दो

परिचयात्मक :

1. पंचायतीराज संस्था का नाम : **नगर निगम काशीपुर**

(अ) उपरोक्त यदि जिला पंचायत है तो क्षेत्र पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों की संख्या : -

(ब) उपरोक्त यदि क्षेत्र पंचायत है तो ग्राम पंचायतों की संख्याः

भौगोलिक क्षेत्र :

जनसंख्या : 121610

2. निर्वाचित सदस्यों की संख्याः
3. (अ) न0प0प0 द्वारा आयोजित बैठकों की संख्याः

(ब) उपसमितियों,स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठकों की संख्या:-

4. बैठक :
5. कर्मचारियों की संख्या :
6. पंचायतराज की सम्पतियां :-
7. पंचायतराज के अपने प्रोजेक्ट : -
8. योजनाओं की संख्या :-
9. (अ) सामाजिक संरक्षा: -

(ब) रोजगार सृजन से सम्बन्धित: -

(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गयी योजनायें: -

(द) लाभार्थियों की संख्या:

10. वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि : विवरण सलंग्न
11. वर्ष के दौरान कुल व्यय :-बजट में उपलब्ध कराया गया

(अ) सामान्यः -

(ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाय एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये।

12. क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गयाः

भाग-4 (अ)

(क) परिचयात्मकः- कार्यालय **नगर निगम काशीपुर** के लेखा/अभिलेखों की वर्ष 2015-16 की सम्प्रेक्षा श्री संजीव कुमार त्यागी, व.ले.प.अ., श्री एल.एस.लिंगवाल स.ले.प.अ. व श्री अर्जुन सिंह स.ले.प.अ. तथा श्री के.बी.गुरंग, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 05.09.2016 से 24.09.2016 कर सम्पादित की गयी।

(ख) विगत प्रतिवेदनों के बकाया प्रस्तरों की स्थितिः-

(i) महालेखाकार कार्यालय के लम्बित प्रस्तर अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0	**प्रस्तर भाग-4 (ब)-1**	**प्रस्तर भाग-4(ब)II**	**STAN**

प्रतिवेदन संख्या वर्ष	**भाग प्रस्तरों की संख्या**

(ii) स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के लम्बित प्रस्तर -

(ग) सतत अनियमितताओं की सूची-

(घ) अप्रस्तुत अभिलेख-

भाग 4(ब)-2

प्रस्तर 1:- ठेकेदार को धनराशि ` 7.60 लाख का अनुचित लाभ।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन.यू.एल.एम.) के अन्तर्गत शहरी आवासविहीन लोगों के लिये महेशपुरा में नगर निगम काशीपुर की भूमि पर रैन बसेरे के निर्माण हेतु धनराशि ` 77.84 (` 68.54 लाख निर्माण व ` 9.30 लाख अधिप्राप्ति) लाख की स्वीकृती प्रदान की गयी थी। स्वीकृत आगणन के अनुसार कार्यों का मदवार सारांश निम्नवत था-

Particulars	Amount (in lakh)
1. Cost of work as per abstrut	63.97
2. Add. for internal Electripication	2.01
3. Add. 4% Contigenies on Civil Cost	2.56
4. Add. 1.5% for soil Testing and architectural Advice	5.10
5. Add. for chaukidar for 5 yers (230*5*365)	4.20
G. Total	**77.84 Lakh**

क्रमांक 4 व 5 की मदें अधिप्राप्ति के अन्तर्गत स्वीकृत थी। रैन बसेरे के निर्माण का कार्य न्यूनतम निविदादाता श्री अजय कुमार शर्मा को आगणित दरों से 18.05% कम पर आवंटित किया गया था। जून 2015 में कार्यादेश के तीन दिन के अन्दर कार्य प्रारम्भ किया जाना था जिसे 12 माह की अवधि के अन्दर न्यूनतम निविदा लागत में पूर्ण किया जाना था।

निर्माण कार्य की पत्रावली के अवलोकन में संज्ञान में आया कि कार्य को आगणन की कुल लागत ` 77.84 लाख से 18.05% कम अर्थात ` 63.78 लाख में आवंटित किया गया था जबकि कार्य को आगणन की वास्तविक लागत अर्थात ` 68.54 लाख (अधिप्राप्ति लागत ` 9.30 लाख को छोडते हुये) अर्थात ` 56.16 लाख में आवंटित किया जाना चाहिये था क्योंकि अनुबन्ध में मदों के विवरण में भी ` 68.54 लाख के कार्यों को दर्शाया गया था। इस प्रकार निगम की गलत प्रक्रिया के द्वारा ठेकेदार को ` 7.62 लाख (` 63.78-` 56.16 लाख) का अनुचित लाभ दिया। इसके अतिरिक्त, निगम द्वारा न तो कार्य की तकनीकी स्वीकृति ही प्राप्त की गयी थी और न ही कार्य के पूर्व सोयल टेस्टिंग (मृदा परीक्षण) कराया गया था क्योंकि पत्रावली में ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं था।

उक्त के सम्बन्ध में पूछे जाने पर निगम द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जिससे लेखापरीक्षा की आपत्ति की स्वतः पुष्टि होती है।

अतः ठेकेदार को ` 7.62 लाख के अनुचित लाभ का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4(ब)-1

प्रस्तर 2:- धनराशि ` 60.93 लाख का व्ययावर्तन व शासकीय निर्देशों के विपरीत धनराशि ` 80.00 लाख को मय अघतन ब्याज कोषागार में जमा न कराया जाना।

नगर पालिका परिषद/निगम, काशीपुर को अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007-08 में मौं. लक्ष्मीपुर पट्टी में जन मिलन हाल के निर्माण हेतु टी.ए.सी. द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत ` 164.04 लाख के सापेक्ष मार्च 2008 में ` 80.00 लाख की राशि अवमुक्त की गयी थी। प्रशासकीय एवं वित्तीय सम्बन्धी शासनादेश के प्रस्तर-2 के अनुसार अवमुक्त धनराशि का उपयोग उन्ही योजनाओं एवं मदों पर किया जाना था जिन योजनाओं एंव मदों के लिये धनराशि स्वीकृत की गयी थी।

नगर निगम के अवस्थापना विकास निधि अभेलेखों की जाँच के दौरान संज्ञान में आया कि निर्माण स्थल में निगम द्वारा बार-बार परिवर्तन के कारण स्वीकृत कार्य प्रारम्भ नही हो सका था तथा कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि में से ` 60.93 लाख का आहरण भी निगम द्वारा दिनांक 31.03.2008 से दिनांक 16.05.2008 के मध्य अन्य मदों के भुगतान हेतु किया था। अवस्थापना मद में 16 मई 2008 को रुपये 19.25 लाख का शेष था जिसमें ` 0.18 लाख प्रारम्भिक शेष व ` 19.07 लाख अवस्थापना मद की अवशेष राशि सम्मिलित थी। स्वीकृत कार्य के सम्पादित न होने के कारण प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा शासनादेश दिनांक 13 जनवरी 2010 व दिनांक 02 दिसम्बर 2011 के माध्यम से परिषद/निगम को मार्च 2008 में अवमुक्त धनराशि ` 80.00 लाख को अधतन तिथि तक प्राप्त ब्याज सहित राजकोष में जमा कराये जाने के निर्देश दिये गये थे किन्तु सम्प्रेक्षा तिथि (सितम्बर 2016) तक निगम द्वारा अवमुक्त धनराशि मय ब्याज राजकोष में जमा नही करायी गयी थी।

इस प्रकार, निगम द्वारा न केवल धनराशि ` 60.93 लाख का व्ययावर्तन व धनराशि ` 19.07 लाख का अनावश्यक अवरोधन किया गया अपितु शासकीय निर्देशों की अनदेखी कर धनराशि ` 80 लाख की भी मय ब्याज सम्प्रेक्षा तिथि तक राजकोष में जमा नही कराया गया था।

इंगित किये जाने पर निगम द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरण को आगामी बैठक में निर्णय हेतु रखा गया है।

उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नही था क्योंकि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 138 में स्पष्ट उल्लेख है कि राज्य सरकार को निगम व अन्य निधियों के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ नियम बनानें का अधिकार हैं बावजूद इसके निगम द्वारा शासकीय निर्देशों की अनदेखी की गयी।

अतः प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता हैं।

STAN

प्रस्तर :- धनराशि की उपलब्धता के बावजूद भी ` 89.11 लाख की देनदारी शेष।

14वें वित्त आयोग की संस्तुति पर वित्तीय वर्ष 2015-16 में विभिन्न कार्यों हेतु इकाई को अपर सचिव, उत्तराखण्ड़ शासन द्वारा पत्रांक 884 दिंनाक 25 जुलाई 2015 द्वारा इकाई को ` 171.07 लाख अवमुक्त किये गये थे। उक्त धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों को निर्धारण समिति द्वारा इस प्रकार किया गया था।

1. ट्रेंचिंग ग्राउण्ड़ की बाउण्ड्रीवाल एवं अन्य कार्य हेतु	` 1.00 करोड़
2. कीटनाशक क्रय हेतु	` 0.10 करोड़
3. सफाई हेतु वैक्यूम क्लीनर क्रय हेतु	` 0.18 करोड़
4. नगर की स्ट्रीट लाइट व्यवस्था (L.E.D. क्रय)	` 0.18 करोड़
5. नगर के क्षतिग्रस्त मुख्य मार्गों के रख-रखाव हेतु	` 0.20 करोड़

उपरोक्त कार्यों से संबंधित पत्रावलियों के अवलोकन पर ज्ञात हुआ कि इकाई द्वारा ` 89.11 लाख के कार्य कराने के उपरान्त लेखापरीक्षा तिथि (05.09.2016 से 24.09.2016) तक संबंधित फर्मों/ठेकेदारों को बिल प्राप्त होने के उपरान्त भी बिलों की धनराशि का भुगतान नहीं किया गया था, विवरण निम्न प्रकार हैः-

क्र.सं.	**कार्य का विवरण**	**प्राप्त बिलों की धनराशि**	**बिल का दिंनाक**
1.	ट्रंचिगं ग्राउण्ड़ हेतु सम्पर्क का निर्माण प्रथम रनिंग बिल	8,45,108/-	01.03.2016
2.	कीटनाशकों का क्रय	6,54,150/-	21.03.2016
3.	स्ट्रीट लाइट (L.E.D बल्बों) क्रय	45,06,549/-	21.03.2016
4.	सफाई हेतु नैनो वैक्यूम क्लीनर मशीन	19,98,000/-	16.02.2016
5.	नगर के क्षितग्रस्त मुख्या मार्गों का पुनः निर्माण कार्य (3 कार्य)	9,07,422/-	20.01.2016 से 01.02.2016
	योग	**89,11,229/-**	

उक्त संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई का उत्तर था कि भुगतान समयव्रद्धि (धनराशि उपभोग करने की) नहीं होने के कारण भुगतान नहीं किया जा सका था।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि शासन को उपभोग प्रमाण पत्र भेजने की तिथि प्रथम बार 31 मार्च 2016 थी जबकि सचिव उत्तराखण्ड़ शासन के पत्रांक 697/IV(3)2016-04(06) दिंनाक 02 जून 2016 द्वारा इसे 30.06.2016 तक बढाने की अनुमति प्रदान कर दी गई थी।

अतः धनराशि उपलब्ध होने के उपरान्त भी ` 89.11 लाख की देयता शेष रहने संबंधी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4(ब)-1

प्रस्तर :- बिना आगणन के कूड़ा निस्तारण ठेके पर दिये जाने से ` 73.93 लाक का अनुचित व्यय।

नगर निगमों मे शासन के आदेशानुसार सफाई कार्यों पर प्रति हजार की आबादी में 02 पर्यावरण मित्र औसतन रखा गया है। नगर निगम काशीपुर मे औसत के सापेक्ष 2.07 पर्यावरण मित्र तैनात थे। निगम द्वारा पुराने शहर रेलवे क्रांसिग से पश्चिम दिशा से एकत्रित कूड़े का निस्तारण ठेके पर दिंनाक 20.12.2014 को न्यूनतम निविदादाता को दिया गया एवं माह अगस्त 2016 तक कुल ` 73.93 लाख के सापेक्ष ` 66.64 लाख का भुगतान किया गया व ` 07.29 लाख का भुगतान शेष था।

नगर निगम काशीपुर के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि कूड़ा निस्तारण का आगणन/ डी.पी.आर. तैयार किये बिना ठेके पर दिया गया जबकि कार्य ठेके पर देने से पूर्व निगम में तैनात 252 कर्मचारियों से कराया जा रहा था। ठेका बिना कारण के सितम्बर 2016 मे निरस्त किया गया इस प्रकार ठेका निरस्त होने के पश्चात सफाई कार्य किस प्रकार किया जा रहा है इसका इकाई द्वारा उत्तर नही दिया गया इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य को ठेके पर दिये जाने का औचित्य ही नही था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर निगम द्वारा बताया गया कि क्षेत्रफल बढ़ने के कारण निगम के कर्मचारियो से नगर के अन्दर कूड़ा उठाने एवं ठेके से स्थलों (कूडा पोईन्ट) से कूड़ा निस्तारण का कार्य लिया गया।

उत्तर मान्य नही हैं क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ने एवं कूडा स्थल से कूडा उठाने सम्बन्धी आगणन/ डी.पी.आर. नही बनाया गया था एवं शासन द्वारा निर्धारित मानक से अधिक कर्मचारी निगम में पूर्व से ही तैनात थे साथ ही वर्तमान मे निगम मे तैनात कर्मचारियो द्वारा ही कार्य पूर्ण कराया जा रहा है।

अतः बिना आगणन/डी.पी.आर. के कूडा निस्तारण ठेके पर दिये जाने से निगम के ` 73.93 लाख के अनुचित व्यय का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता हैं।

भाग 4(ब)-2

प्रस्तर 5:- होर्डिंग्स का ठेका न होने में ` 6.00 लाख का नुकसान तथा विभागीय शिथिलता के कारण ` 91.24 लाख की वसूली का लंबित रहना।

किसी निकाय को विकास कार्यों हेतु शासन से प्राप्त होने वाले अनुदान के अलावा भी धनराशि की आवश्यकता होती है जो कि निजी संसाधनों जैसे- दुकानों में प्राप्त किराया, भवनों, पार्किंग स्थलो का ठेका, होर्डिंग, तह बाजारी इत्यादि से प्राप्त करने होते है।

1. इकाई के निजी स्रोतों से प्राप्त होने वाली धनराशि से संबंधित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में इकाई को निम्न विवरणानुसार धनराशि प्राप्त हुई थी-

(धनराशि ` में)

मद का नाम	**पिछले वर्षों का अवशेष**	**वित्तीय वर्ष का लक्ष्य**	**कुल वसूली योग्य राशि**	**वसूली की गई धनराशि**	**अवशेष धनराशि**
भवनों का आय	52.81	100.00	152.81	98.10	54.71
दुकानो से प्राप्त	31.66	30.22	61.88	25.48	36.40
योग	**84.47**	**130.22**	**214.69**	**123.58**	**91.11**

2. इसी प्रकार पार्किंग हेतु वित्तीय वर्ष में ` 6.08 लाख का ठेका किया गया था जो की समस्त करों सहित ` 6.21 लाख होता था। उक्त धनराशि को तीन किस्तों में क्रमशः तीन दिन के भीतन सितम्बर 15 एवं दिसम्बर 15 में जमा कराना था किन्तु ठेकेदार द्वारा सितम्बर 15 में जमा की जाने वाली धनराशि ` 1.52 लाख को 8 माह पश्चात अप्रैल-2016 में जमा की गई थी जिसके लिये इकाई द्वारा कोई अतिरिक्त (पैनल्टी) धनराशि वसूली नहीं की गई थी। साथ ही कुल ` 6.21 लाख में से ` 6.08 लाख ही जमा कराये गये थे जो की ` 0.13 लाख कम थे।

3. विज्ञापन होर्डिंग्स लगवाने हेतु प्राप्त निविदाओं में वित्तीय वर्ष हेतु अधिकतम निविदा ` 5.60 लाख प्राप्त हुई ती किन्तु निविदायें निरस्त कर दी गई थी। इसके पश्चात इस संबंध में कोई निविदा आंमत्रित नहीं की गई थी एवं पूर्व से लगे होर्डिंग्स को हटाने की कार्यवाही की जाने लगी थी, तत्समय कुछ होर्डिंग धारकों द्वारा होर्डिंग न हटाने का निवेदन करने एवं इसके लिये निर्धारित शुल्क जमा करने का निवेदन किया गया, जिस पर निगम अधिकारियों द्वारा विचार कर गणना की गी ` 5.94 लाक (तीन

फर्मों से) लेने का निर्णय लिया जो कि नहीं लिया गया इसी प्रकार घास मण्ड़ी हेतु भी वित्तीय वर्ष में कोई वसूली की गई थी।

आगे जाँच में स्पष्ट करना भी उचित होगा कि वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु होर्डिंग्स का ठेका ` 8.25 लाख का किया है।

उपरोक्त तथ्यों के संबंध में इंगित किये जाने पर इकाई का कहना था कि कुछ दुकानों हेतु न्यायालय में वाद दायर है तथा वह खाली है शेष पराक्षण उपरांत जिल किरायेदारों पर एरियर बकाया होगा नोटिस देते हुये वसूली की कार्यवाही की जायेगी। जो अगली सम्परीक्षा में प्रस्तुत कर दी जायेगी। जबकि पार्किंग के संबंध में देरी से भुगतान का ब्याज न अवशेष राशि हेतु नोटिस जारी कर वसूली के प्रयास किया जायेगें।

होर्डिंग्स हेतु वसूली के संबेंध मे इकाई का कहना था कि तीनों फर्मों द्वारा धनराशि जमा कराने में असमर्थता व्यक्त करने पर होर्डिंग्स हटा दिये गये थे।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि विभाग द्वारा समय पर उचित कार्यवाही व निर्णय न लेने के कारण को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा था।

अतः प्रकरम शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4(ब)1

प्रस्तर 1:- स्वीकृति धनराशि ` 4.99 लाख के सापेक्ष ` 7.50 लाक का आंगणन बनाना एवं ` 1.02 लाख अधिक भुगतान।

नगर निगम काशीपुर के समीप सार्वजनिक सामुदायिक हाल का निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण कार्य हेतु विधायक निधि के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 में ` 4.99 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (03.11.2015) 10 स्टिलीट ए.सी. (Providing of Fixing) हेतु ` 7.50 लाख का आंगणन तैयार किया गया था। जो अवमुक्त धनराशि से ` 2.51 लाख अधिक थी निगम द्वारा (08.10.2015) विन्डों एवं स्टिलीट ए.सी. हेतु निविदा आमन्त्रित की गई एवं न्यून्तम निविदाता को आपूर्ति आदेश (30.11.2015) किया गया था।

नगर निगम काशीपुर के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि आंगणन की तकनिकी स्वीकृति नहीं ली गई थी। आगणन के सापेक्ष निविदा के विशिष्टयों में भिन्नता थी। स्वीकृत धनराशि के विपरीत आंगणन तैयार किया गया था एवं ` 1.02 लाख का अधिक भुगतान (स्वीकृत के सापेक्ष) किया गया था। इस प्रकार 03 टन के 10 स्टिलीट के सापेक्ष 02 टन के 04 विन्डों ए.सी. एवं 08 स्पिलीट ए.सी. क्रय किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इगिंत किये जाने पर इकाई द्वारा स्वीकार करते हुये बताया गया कि अधिक व्यय निगम निधि से किया गया है एवं अन्य बिन्दुओं के प्रतिउत्तर में बताया गया कि आगामी सम्परीक्षा के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि आंगणन में तकनीकी स्वीकृति नहीं ली गई थी। आंगणनों के विशिष्टियों के विपरीत आपूर्ति की गई थी तथा स्वीकत धनराशि के सापेक्ष भुगतान किया गया था।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग 4(ब)2

प्रस्तर 2:- एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने पर भी ` 1.71 करोड़ का उपभोग न कर पाना एवं शासन को उपभोग प्रमाण पत्र न भेज पाना।

उत्तराखण्ड़ शासन वित्त विभाग द्वारा 14वें वित्त से सम्बन्धित धनराशि ` 171.07 लाख कुछ प्रतिबन्धों के साथ अवमुक्त किये थे जिनमें से एक शर्त यह भी थी कि इकाई द्वारा इस धनराशि का उपभोग कर उपभोग संबंधी प्रमाण पत्र 31.03.2016 तक अवश्य शासन को उपलब्ध कराना सुनुश्चित करें।

इकाई के लेखा-अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि उक्त धनराशि के व्यय हेतु कार्य योजना भी इकाई द्वारा तैयार कर ली गई थी एवं कार्य प्रारम्भ भी हो चुके थे, किन्तु निर्धारित समयावधि में उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र शासन को नहीं भेजा गया एवं न ही धनराशि वापस लौटाई (समर्पित) ही की गई थी।

शासन द्वारा इकाई द्वारा कराये जा रहे कार्यों के मध्येनजर इस धनराशि के उपभोग करने कि तिथि को वढाकर 30.06.2016 कर दिया गया था, किन्तु इकाई द्वारा न तो सम्पूर्ण आवंटित कार्य ही पूर्ण कराये थे एवं न ही लेखापरीक्षा तिति (19.09.2016) [1] तक उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत किया था।

इस संबंध में लेखा परीक्षा में पूछे जाने पर इकाई का कहना ता कि धनराशि के उपयोग करने से सम्बन्ध में शासन से इस अवधि को 30.10.2016 तक बढाये जाने की अनुमति प्राप्त हो गई है।

इकाई का उत्तर संतोषजनक नहीं थी, क्योंकि धनराशि अप्रैल 2015 में प्राप्त हो गई थी, एवं इकाई द्वारा कार्य योजना बी 28.09.2015 को फाईनल कर दी गई थी, जिसे कि एक वर्ष पूर्ण हो चुका था।

---

[1] सचिव उत्तराखण्ड़ शासन के पत्रांक 697/iv(3)2011-04-(06) दिंनाक 2 जून 2016

अतः ` 1.71 करोड का उपभोग प्रमाण पत्र न भेजने संबंधी प्रकरण को संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4(ब)2

प्रस्तर 3:- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियमावली के तहत उपकर की धनराशि निर्माण कार्यों से कटौती न करते कल्याण बोर्ड़ निधि में जमा न किया जाना।

उत्तराखण्ड़ शासन के पत्र संख्या-740/VIII/14-680(श्रम)/2002टी.सी.II दिंनाक 13.08.2014 द्वारा विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों में नियोजित श्रमिकों के कल्याण हेतु भारत सरकार द्वारा अधिनियम भवन एवं सन्निर्माण कर्माकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम 1996 एवं भवन अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली 1998 के अन्तर्गत अधिनियम किये गये है जिसमें निर्माण श्रमिकों के पंजीयन के उपरान्त उन्हे विभिन्न हितकारी योजनाओं जैसे पेंशन, दुर्घटना मुआवजा, मृत्योपरान्त सहायता, चिकित्सा सहायता बच्चों की शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता, मातृत्व हित लाभ, पुत्री के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रावधान निहित किये गये है। उक्त अधिनियम में पंजीकृत श्रमिकों के कल्याण कारी योजनाओं के लिये धन की व्यवस्था हेतु निर्माण अधिष्ठानों द्वारा अपने निर्माण कार्यों की लागत का एक प्रतिशत उपकर के रुप में कल्याण बोर्ड़ की निधि में जमा किये जाने का प्रावधान था इसके अन्तर्गत सरकारी तथा गैरसरकारी निर्माण कार्य सम्मिलित किये गये है जिनमें 10 या 10 से अधिक निर्माण श्रमिक विगत एक वर्ष में किसी भी दिन नियोजित रहे हो उत्तराखण्ड़ शासन के श्रम एवं सेवा योजना अनुभाग द्वारा अधिसूचना संख्या-474(2)VIII/12-359(श्रम)/2011 दिंनाक 17.05.2012 जारी करते हुये नगर निगम के मुख्य नगर अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारी को उपकर निर्धारण एवं संग्रहण हेतु उपकर निर्धारण एवं संग्रहण अधिकारी के रुप में नियुक्त किये गये थे नगर निगम काशीपुर जनपद उधमसिहं नगर में निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अभिलेखों एवं भुगतानों के बिल तथा बाऊचरों के अवलोकन में पाया गया कि नगर निगम द्वारा न तो निर्माण कार्यों के आगणन में एक प्रतिशत उपकर का प्रावधान किया गया है और न ही बिलों से एक प्रतिशत की उपकर के रुप में धनराशि की कटौती की जाती है। जिसे कल्याण बोर्ड़ निधि में जमा किया जाना था।

लेखापरीक्षा द्वारा इस सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि लो.नि.विभाग से परिपालन कर आगमी सम्परीक्षा को अवगत कराया जायेगा।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उपकर की कटौती के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड़ शासन द्वारा वर्ष 2014 में उससे पहले भी निर्देश जारी किये गये थे। अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक नगर निगम द्वारा ` 2,75,15,000/- की धनराशि के कार्य कराये गये जिसमें एक प्रतिशत की दर उपकर की धनराशि ` 2,75,150/- आती है नगर निगम द्वारा नियमावली का अनुपालन नहीं किया गया है परिणाम स्वरुप उपकर की कटौती नहीं की जा रही है।

अतः प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4(ब)2

प्रस्तर 4:- समय पर ले आउट उपलब्ध न कराने तथा अधिकारियों की शिथिलता के कारण निर्माण कार्य में धनराशि उपलब्ध होने पर भी अनावश्यक विलम्ब होना।

नगर निगम काशीपुर द्वारा 2015-16 में 14वें वित्त से प्राप्त धनराशि ` 171.07 लाख में से ` 1 करोड़ ट्रेचिंग ग्राउण्ड़ की बाऊण्ड्रीवाल/कम्पोस्टिंग पिट एवं स्टोर चौकीदार एवं अन्य व्यवस्थाओं हेतु आवंटित किये थे।

इकाई की संबंधित पत्रावली की जाँच में पाया गया कि इस कार्य हेतु प्राप्त निविदाओं (7) में से सबसे कम निविदा (` 83,78,777/-) श्री अजय शर्मा की थी जिन्हे कार्य आवंटित किया गया था। किन्तु पत्रावली में ठेकेदार को अनुबंध के अनुसार कार्य 30 जून 2016 तक पूर्ण करना था किन्तु इकाई द्वारा 25 जून 2016 तक मुख्य कार्य का ले आउट ठेकेदार को उपलब्ध नहीं कराया गया था, जबकि ठेकेदार द्वारा सम्पर्क मार्ग निर्माण का कार्य पूर्ण कर इकाई को ` 8,45,108/- का रनिंग बिल प्रस्तुत किया जा चुका था, जिसका लेखापरीक्षा तिथि तक भुगतान भी नहीं किया गया था, निर्माण कार्य को ले आऊट उपलब्ध न होने से मुख्य कार्य प्रारम्भ ही नहीं हो पाया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इस सम्बन्ध में इकाई का ध्यान आकर्षित करने पर इकाई का कहना था कि संबंधित स्थल पर ले आउट न दिया जाना और भारी वर्षा के कारण ससमय कार्य आरंभ न हो सका था, विलम्ब के संबंध में इकाई का यह भी कहना था कि विलंब के लिये अनुबंध के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। रनिंग बिल के भुगतान न करने के संबंध में इकाई का कहना था कि समयावद्धि न होने के कारण भुगतान नहीं किया गया था।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा शासनादेशों का पालन नहीं किया जा रहा था, ठेकेदार को समय पर निर्माण कार्य का ले आउट उपलब्ध कराना इकाई के अधिकारियों की जिम्मेदारी थी

वर्तमान स्थिति से प्रतीत होता है कि शासन द्वारा अंतिम बार धनराशि के उपभोग करने कि तिथि (31.10.2016) तक भी कार्य का पूर्ण होना संदेहास्पद प्रतीत हो रहा है।

अतः विभागीय शिथिलता के चलते निर्माण कार्य का ले आउट समय पर उपलब्ध न कराने एवं रंनिग बिल का भुगतान न करने संबंधी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 2:- 55 कर्मचारियों को अंशदायी पेंशन योजना के सम्पूर्ण लाभ से वंचित रखना।

उत्तराखण्ड़ शासन के वित्त अनुभाग-7 द्वारा जारी शासनादेश क्र.21 दिंनाक 25.10.2005 के अनुसार उक्त माह में या पश्चात सेवा में आये अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन से अंशदायी पेंशन योजना के तहत उनके मूल वेतन +ग्रेड वेतन+मंहगाई भत्ते के दस प्रतिशत धनराशि काटी जायेगी एवं इतनी ही धनराशि नियोक्ता विभाग द्वारा भी इस योजना में जमा की जायेगी, यह धनराशि तब तक ऐसे बैंक खातों य अन्य खातों में रखी जायेगी जिस पर लगभग सा.भ.नि. के समकक्ष ब्याज मिलता है, जब तक कि भारत सरकार द्वारा राज्य के लिये पेंशन निधि प्रबंधक की नियुक्ति नहीं कर दीय जाती।

इकाई के लेखा अभिलेखों की जाँच म पाया गया कि इस योजना के तहत कुल 55 कर्मचारी (52 सफाई कर्मचारी एवं 3 अन्य) इकाई में कार्यरत है, किन्तु अगस्त 2015 तक किसी भी कर्मचारी के वेतन से अभी भी कोई अंशदान कर्मचारी श्री नदीम अहमद के वेतन से अभी भी कोई अंशदान नहीं काटा जा रहा था, एक अन्य कर्मचारी राशिद हुसैन के खाते से (7,100+1,800+10,591/-) के स्थान पर प्रस्तर 2:- 1,892/- ही काटे जा रहे थे जबकि इतनी ही धनराशि नियोक्ता विभाग द्वारा भी जमा की जा रही थी।

आगे लेखापरीक्षा में देखा गया कि वर्ष में D.A. दो बार (जनवरी एवं जूलाई) बढता है किन्तु कर्मचारियों के वेतन से बढे हुये DA पर अंशदान उसी माह से काटा जाता है जिस माह के वेतन में बढा हुआ डी.ए. लगा हो जैसे जुलाई माह से घोषित डी.ए. नवम्बर के वेतन से लगा है तो जूलाई से अक्टूबर तक का बढा हुआ अंशदान नहीं काटा जा रहा ता, साथ ही अगस्त 2015 तक का अशंदान भी जमा नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर इकी का उत्तर था कि उक्त तथ्यों का परीक्षण कर भविष्य में कार्यवाही की जायेगी तथा आगामि सम्परीक्षा को अवलोकित कराया जायेगा।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि इकाई द्वारा शासनादेशों का पालन नहीं किया जा रहा था।

अतः 56 कर्मचारियों को अंशदायी पेंशन योजना से होने वाले सम्पूर्ण लाभ से वंचित रखे जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4(ब)2

प्रस्तर 5:- निविदा प्रक्रिया निरस्त करने के बावजूद टेण्डर फर्मों की बिक्री के ` 1.61 लाख को वापस न करना।

तह बाजारी शुल्क के रुप में होने वाली वसूली किसी भी निकाय का आय का एक प्रमुख स्रोत होता है।

इकाई द्वारा तह बाजारी की वसूली हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिये निविदा आंमत्रित (04.03.2015) की गयी थी जिसके सापेक्ष छः निविदाएं प्राप्त हुयी थी किन्तु अपरिहार्य कारणों से नीलामी निरस्त कर दी गयी थी एवं इकाई द्वारा वित्तीय वर्ष में अपने स्वंय के स्तर से ही तह बाजारी शुल्क वसूलने का निर्मय लिया गया था एवं 1 जून 2015 से वसूली प्रारंभ कर दी थी। यह स्पष्ट करना भी आवश्यक होगा कि माह अप्रैल एवं मई 2015 की वसूली वर्ष 2014-15 के ठेकेदार के माध्यम से ही करा ली गई थी। इस प्रकार वित्तीय वर्ष में तह बाजारी से इकाई को कुल (10,49,571+66,64,840) ` 77,14,411/- प्राप्त हये थे।

इस संबंध में यह भी देखा गया कि पूर्व में निविदा फर्मों की बिक्री से इकाई को ` 1,61,000/- की आय हुई थी, किन्तु निविदा प्रक्रिया निरस्त होने के कारण निविदाताओं द्वारा निविदा टेण्डर क्रय की धनराशि वापस करने की माँग की जा रही थी, जिसे वापस करने की माँग की जा रही थी, जिसे वापस करने संबंदी कोई आदेश या अन्य प्रमाण पत्रावली में उपलब्ध नहीं थे।

इस संबंध में इकाई द्वारा पूरी स्थिति स्पष्ट नहीं की गई थी, सिर्फ धन राशि वापस नहीं की गई कारण स्पष्ट नहीं।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि धनराशि वापस न करने के कारण स्पष्ट नहीं किये गये थे जबकि इकाई द्वारा ` 50.00 लाख के सापेक्ष ` 77.14 लाख की वसूली की गई थी।

अतः प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4(ब)2

प्रस्तर 6:- वाहनों का अनुरक्षण एवं मरम्मत शासनादेशों के अनुसार न किया जाना।

सरकारी विभागों की गाडों का अनुरक्षण एवं मरम्मत हेतु शासन द्वारा समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किये जाते है जिसमें वाहनों का अनुरक्षण गैराज से कराये जा सकें। निगम द्वारा अनुरक्षण एवं मरम्मत में ` 37,288/- एवं टायर टयूब में ` 29,600/- व्यय किया गया था।

नगर निगम, काशीपुर के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि निगम द्वारा परिवहन विभाग अथवा उत्तराखण्ड़ राज्य सड़क परिवहन निगम से तकनिकि स्वीकृति प्राप्त कर अधिकृत गैराज से कार्य करायाजाना था। निगम द्वारा बिना आगणन प्राप्त किये दो अनाधिकृत गैराजों से मरम्मत कार्य कराया जा रहा था तथा बदले गये स्पेयर पार्ट की पंजिका नहीं बनायी गई व स्पेयर पार्ट का कोई लेखा जोखा रखा गया था। निगम द्वारा वाहनो पर लगाये जाने वाले टायर, टयूब ब बैटरी बिना कोटेशन, निविदा आमन्त्रित कर उक्त फर्मों से ही क्रय किया गया था।

इंगित किये जाने पर निगम द्वारा बताया गया कि कार्य की आवश्यकता को देखते हुये स्थानीय एजेन्सी से सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के अनुसार कार्य कराया गया है सम्बन्धित वाहनो की रिपेयरिंग जनहित में करायी गयी है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि शासन द्वारा निर्देश दिये गये है कि वाहनों का अनुरक्षण एवं मरम्मत परिवहन विभाग अथवा राज्य सड़क परिवहन निगम की पुष्टि पर अधिकृत गैराज से आगणन प्राप्त कर कार्य कराया जाना था तथा टायर, टयूब, बैटरी का क्रय कोटेशन/निविदा प्राप्त कर अधिप्राप्ति नियमावली-2008 के अनुसार किया जाना था।

अतः निगम द्वारा वाहनों का अनुरक्षण/मरम्मत का कार्य अनाधिकृत गैराज से कराये जाने एवं टायर टयूब व बैटरी बिना कोटेसन/निविदा के क्रय किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग 4(ब)2

प्रस्तर 7:- भूखण्ड़ों के लीज के सम्बन्ध में अनुबन्ध की शर्तों का पालन न किया जाना।

1. नगर निगम काशीपुर की लीज संबंधी पंजिका के अवलोकन पर पाया गया कि इकाई के पास 39 भूखण्ड़ थे जिनमें से 38 भूखण्ड़ लीज पर दिये गये थे किन्तु भूखण्ड़ क्र.-08 को लीज पर नहीं गिया गया था, 38 भूखण्डों में से भी भूखण्ड़ क्र. 1,2,3,5,9,10,11,14,19,25,29,30,33,34 एवं 39 में लीज धारकों के नाम बदले गये है जबकि भूखण्ड़ क्र. 16,17,18,22 एवं 23 में लीज निरस्त किये जाने संबंधी टिप्पणी अंकित नहीं थी आगे देखा गया कि पंजिका में लीज पर देने संबंधी पूर्ण विवरण भी अंकित नहीं किया जा रहा था, जिससे यह ज्ञात नहीं हो पा रहा था कि भूखण्ड़ कितने वर्षों के लिये कितनी धनराशि में दिया गया था एवं वसूली किस प्रकार की जानी है।

2. नमूना जाँच के तौर पर भूखण्ड़ क्रमांक-30 से संबंधित पत्रावली की जाँच की गी जिसमें पाया गया कि श्री राम अवतार पुत्र श्री हरस्वरुप द्वारा इस भूखण्ड़ को लीज पर लेने हेतु आवेदन किया था। (07.08.1995) जिके फलस्वरुप आवेदन कर्ता एवं नगर पालिका परिषद (तत्समय) के मध्य एक अनुबन्ध पत्र (20.09.1997) पर हस्ताक्षर किये गये थे। जिसके अनुसार भूखण्ड़ 90 वर्षों के लिये जीज पर श्री राम अवतार को (145.668 SQM*250) ` 36,422/- में लीज पर दिया गया था उक्त धनराशि में से 5,000/- उक्त तिथि तक जमा कर दिये गये थे एवं शेष धनराशि को 60 किश्तों में 14 प्रतिशत ब्याज सहित जमा किया जाना था।

आगे अनुबन्ध की शर्तों में यह भी था कि भूखण्ड़ आवंटी को भूखण्ड़ पर 5 वर्षों के भीतर निर्माण कार्य करा लेना होगा अन्यथा भूखण्ड़ को नगर पालिका परिषद द्वारा वापस लिया जा सकता है आवंटी भूखण्ड़ को विक्रय नहीं कर सकेगा एवं हस्तान्तरण वाली स्थिति में सिर्फ पति/पत्नी या निकट खून के रिश्ते में हस्तान्तरण की अनुमति दी जा सकती है।

आगे देखा गया कि श्री राम अवतान द्वारा 05.11.1997 को भूखण्ड़ का कब्जा प्राप्त किया गया किन्तु निर्धारित 5 वर्ष की अवधि के भीतन अवशेष धनराशि जमा नहीं की थी। इस धनराशि को ब्याज सहित 18.06.2008 को जमा किया गया था।

श्री राम अवतार द्वारा दिनांक 02.06.2011 को इस भूखण्ड़ को अपने फुफरे भाई श्री मनोज कुमार के नाम करने हेतु एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसे अध्यक्ष नगर पालिका परिषद द्वारा 29 सितम्बर 2011 को स्वीकृत कराने हेतु श्री मनोज कुमार द्वारा 02 जूलाई 2015 को आवेदन किया गया था, किन्तु लीज पंजीकरण संबंधी कोई भी अभिलेख पत्रावली में संलग्न नहीं थे।

आगे यह भी देखा गया कि श्री मनोज कुमार के नाम पर अध्यक्ष महोदय द्वारा भूखण्ड़ स्थानान्तरित करने की स्वीकृति दे दी गई थी फिर भी इकाई द्वारा श्री राम अवतार को 31.08.2016 को भूखण्ड़ पर निर्माण कार्य (बिना अनुमति) कराने के संबंध में नोटिस जारी किया गया था।

उपरोक्त तथ्यों के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई का उत्तर था कि पत्रावली का परीक्षण कर आगामी सम्परिक्षा में प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि उक्त संबंध में अनुबन्ध की शर्तों का कहीं पर भी पालन नहीं किया गया था।

अतः लीज हेतु तय किये गये नियमों (शर्तों) के पालन न किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-4, अनुभाग (स)</u>

सामान्य एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान कार्यस्थल पर नहीं हो सका उन्हें निरीक्षण टिप्पणी में सम्मिलित कर लिया गया है जिसकी प्रति **कार्यालय नगर निगम, काशीपुर** को इस आशय से प्रेषित की गयी हैं कि इसकी अनुपालन आख्या प्राप्ति के एक माह के अन्दर वरि. उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, सी-1/105,वैभव पैलेस,इन्दिरा नगर, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ स्थानीय निकाय